सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 310 / 2016

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. रामेश्वरी पत्नि रामदेव जाति जाट
2. लादूराम पुत्र रामकरण जाति जाट
3. झमकू पत्नि छीतर जाति जाट

निवासीगण सरसडी तहसील केकडी जिला अजमेर राज.

वादीगण

बनाम

1. लादू पुत्र भूरा जाट
2. छोटू पुत्र भूरा जाट
3. रामदेव पुत्र छीतर जाट

समस्त जाति जाट निवासीगण सरसडी तहसील केकडी जिला अजमेर राज.

4. अमरी पत्नि बन्नालाल जाट निवासी ब्यावररोड केकडी जिला अजमेर
5. रामकुवार पुत्र रामदयाल
6. किशनलाल पुत्र रामदयाल
7. रामप्रसाद पुत्र रामदयाल
8. प्रधान पुत्र रामदयाल
9. छोटू पुत्र रामदयाल
10. रामलाल पुत्र रामदयाल
11. केदार पुत्र रामदयाल
12. रामकुवार पुत्र रामगोपाल
13. अमरा पुत्र रामचन्द्र
14. कालू पुत्र चतुभुर्ज
15. बन्नालाल पुत्र जगदीश
16. गोर्धन पुत्र नाथू
17. ममता पुत्री मांगीलाल
18. भंवरलाल पुत्र रामसुख
19. छीतर पुत्र रामनारायण
20. बद्री पुत्र श्योनारायण

तमाम जाति जाट निवासीगण सरसडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

21. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांकः—21.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सरसड़ी में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2070—73 के खाता स. 6 के खसरा नम्बर 109 , 175, किता 2 कुल रकबा 4.09 व खाता स. 7 के खसरा नम्बर 124, रकबा 1.19 है. , भूमि वादी /प्रतिवादीगण के नाम सयुंक्त कब्जे काश्त की खातदोरी की आराजीयात है जिसमें वादी स. 1 का 1/9 हिस्सा ,वादीस. 2 का 2/9 हिस्सा तथा वादी स. 3 एंव प्रतिवादी 1 लगायत 3 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी स. 4 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी 5 लगायात 11 का 1/9 हिसा , प्रतिवादी स. 12 लगायत 15 का 1/9 तथा प्रतिवादी स. 16 लगायत 20 का 1/6 हिस्सा है एंव इसी हिस्से अनुसार वादीगण/प्रतिवादीगण आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा नही होने के कारण प्रतिवादी स. 1 लगायत 20 वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात में बाधा उत्पन्न करते है। व फसल को नष्ट भ्रष्ट करते हैं । जिसके कारण यह वादप्रत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी स. 6 से 20 की और से अधिवक्ता श्री मदन गोपाल चौधरी द्वारा पावर पेश किया गया। एवं प्रतिवादीस. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित व प्रतिवादी स. 4 की और से अधिवक्ता श्री मिठूसिंह राठौड उपस्थित।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट सरसडी में पेश हुयी। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी 1 से 20 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादीगण के पक्ष में है तथा वादीगण का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा वाके ग्राम उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2070—73 के खाता स. 6 के खसरा नम्बर 109 , 175, किता 2 कुल रकबा 4. 09 व खाता स. 7 के खसरा नम्बर 124, रकबा 1.19, हैक्ट. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है। तथा प्रतिवादी स. 1 व 20 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से की आराजीयात के कब्जे काश्त ,में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा न ही फसल को नष्ट भ्रष्ट करें। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी